

राजस्थान सरकार
निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें राज0 जयपुर

क्रमांक :- ई-33/ले.टे./ (1149)/2017/

दिनांक :

आदेश

निम्नलिखित लैब टेक्नीशियन को उनके नामों के सम्मुख अंकित जन्म दिनांक के आधार पर 60 वर्ष की अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने पर अंकित दिनांक से राज्य सेवा से सेवानिवृत्त किया जाता है:-

क.स.	नाम कर्मचारी व पद	पदस्थापन स्थान	जन्म दिनांक	से.नि.दिनांक
1.	श्री कैलाश चन्द शर्मा, लैब टेक्नीशियन	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सांभर लेक, जयपुर	20.07.1957	31.07.2017
2.	श्री चरण सिंह जाटव, लैब टेक्नीशियन	प्रा0स्वा0केन्द्र सोप, करौली	07.07.1957	31.07.2017

उपरोक्त कर्मचारियों के विरुद्ध विभागीय जांच की सूचना निम्न प्रकार है:-

- (1) राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लंबित नहीं है।
- (2) राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लंबित नहीं है।
- (3) कोई न्यायिक कार्यवाहिया विचाराधीन/लंबित नहीं है।

(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक :- ई-33/ले.टे./ (1149)/2017/ 46)

दिनांक : 28.6.17

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निदेशक पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग राज0 जयपुर।
2. संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें जोन-जयपुर/भरतपुर।
3. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर द्वितीय/करौली।
4. ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी, ब्लॉक गुढाचन्द्रजी, करौली।
5. वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, सामु0स्वा0केन्द्र सांभर लेक, जयपुर।
6. चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, प्रा0स्वा0केन्द्र सोप, करौली।
7. प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश को विभाग की बेवसाईट पर अपलोड करें।
8. संबंधित कर्मचारी को सूचनार्थ।
9. आदेश/डीपीसी सैल/निजी पत्रावली।

उक्त कर्मचारीयो के विरुद्ध यदि आडिट पेरा या अन्य कोई वसूली बकाया हो तो उसकी वसूली तत्काल कर निदेशालय को अवगत करावे।

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान, जयपुर।